

डिक्री बमुकदमें इष्टदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
:- श्री रामकरण सिंह, आर0ए0एस0

-:: वादी ::-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. धनसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति
राजपूत निवासी राबडियावास
तहसील जैतारण जिला ब्यावर
राजस्थान

1. ज्ञानसिंह पुत्र शंकरसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र शंकरसिंह
3. मायाकंवर बेवा लक्षमणसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह
5. महेन्द्रसिंह पुत्र लक्षमणसिंह
6. जीतूसिंह पुत्र लक्षमणसिंह
जाति राजपूत निवासी राबडियावास तहसील
जैतारण जिला ब्यावर
7. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान
सरकार

मु0न0 :रा0वा0 स0: 101/2019 (142/13)

राजस्व वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.05.2025 को जारी

किया गया।

मोहर



(Signature)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	4.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुकमनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुकमनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	9.00		मिजान:-	2.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।